

जिससे कि उस क्षेत्र में प्रस्तावित त्वरित अर्थात् तेल उत्पादन कार्यक्रम के कार्या-रिवत किये जाने पर उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त क्रूड को ससाधित किया जा सके। इस विस्तार के साथ कोई भी अनुषंगी उद्योग जुड़ा हुआ नहीं है। जब अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा तो इससे उत्पादित सभी उत्पाद बहुत विक्रम पेट्रोलियम उत्पाद होंगे तथा किसी प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों/सामग्री के पैदा होने की भाषा नहीं है।

### प्राचीन कथाओं एवं गीतों का संकलन

4882. श्री कृबंर राम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी दूरदर्शन और गीत तथा नाटक प्रभागों ने प्राचीन कथाओं और गीतों पर अनुसंधान तथा उनके संकलन की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या महाकवि सूरदास के 1.25 लाख पदों पर अनुसंधानों के लिए कोई विशेष योजना का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे): (क) और (ख). प्राचीन कथाओं के संकलन के लिए इन माध्यम एकको द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, आकाशवाणी के 20 क्षेत्रीय केन्द्रों में लोक संगीत के संकलन और परिरक्षण के लिए आकाशवाणी के लिए एक विशेष योजना स्वीकृत की गई है।

पी. पी. सी. लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4883. श्री रामादत्तार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरकोट क्षेत्रीय संघर्ष समिति (अमरकोट रीजनल एक्शन कमेटी) के तत्वाधान में 22 जुलाई 1982 को पी. पी. सी. लिमिटेड अमरकोट के कार्यालय के समक्ष आम जनता ने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदर्शनकारियों ने पी. पी. सी. लिमिटेड के महाप्रबंधक को कोई ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यांरा क्या है : और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और उर्बरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख मांगें निहित हैं :-

(1) गांवों में पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था की जानी चाहिये जहां पाइराइट खनन के कारण जल प्रदूषित हो गया है।

(2) कम्पनी को या तो भूमि अधिग्रहित करनी चाहिए या भूमि की उर्वरा शक्ति कायम करनी चाहिए जिसमें प्रदूषण के कारण उर्वरा शक्ति का विनाश हो गया है।

(3) चूंकि कम्पनी का मुख्यालय अमरकोट में स्थित है, इसलिए सभी पदों के लिए साक्षात्कार अमरकोट में होना चाहिए और रोजगार के मागने में स्थानीय लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए।

(घ) कम्पनी ने इस दात का खण्डन किया है कि पाइराइट खनन के कारण पेय जल दूषित हो गया है और इसलिए वैकाल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक आस पास के क्षेत्र में उर्वरा शक्ति के क्षीण होने का संबंध है, कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि सामान्यतया ऐसा नहीं होता है क्योंकि खेत का जल नाले में प्रवाहित होता है जो सान नदी में गिरता है। तथापि वर्षा ऋतु में ऐसे जल के उत्प्रवाह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम्पनी किसानों को मुफ्त मसूरी रांक फ्फास्फेट वितरित करती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखा जा सके।

वर्षी कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय दोहरी-आन-साने में स्थित है जिसे अमकोरे से जाना का प्रस्ताव है। कम्पनी की नीति के अनुसार समूह "ग" और "घ" पदों में भती के मागले में स्थानीय लोगों को तरजीह दी जानी है। अन्य पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर भती की जाती है और जन कार्य की आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार के स्थल के बारे में निर्णय लिया जाता है।

**Benefit in Purchase of Chloramphenicol and Doxycycline by Large Scale units**

4884. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2556 on 9-3-1982 regarding sale of Doxycycline and Chloramphenicol and state:

(a) what definite steps Government have taken to mop up the unintended benefit that has occurred to large scale units on account of their purchase of Chloramphenicol and Doxycycline from the open market;

(b) whether these large scale units owe more than Rs. 2 crores on this account and the mopping up of funds for Government has been considerably delayed; and

(c) if so, the reaction of Government in the who's matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c). Detailed exercises are already under way to mop up the difference between the prices of Chloramphenicol Powder and Doxycycline Hydrochloride allowed to the price controlled manufacturers of formulations in their formulation prices, and prices at which these drugs have actually been procured. The extent of the amount due on the above account is not known at present.

**Import of Ethambutol Hydrochloride**

4885. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government had renegotia-

ted for a better price for import of Ethambutol Hydrochloride by the canalising agency;

(b) if so, what was the time period given to the manufacturers for submitting the revised offers;

(c) whether the order has been confirmed on a manufacturer whose material failed to pass the required test in the last supply; and

(d) what is the reaction of Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d). M/s State Trading Corporation (STC) had issued a purchase enquiry for 6 MTs. of Ethambutol Hcl on 3-5-1982 with the closing date of 6-5-1982. The closing date was kept short in view of urgency of imports. Against this enquiry, STC had placed orders on four international suppliers of Ethambutol Hcl. One of these suppliers was M/s Siofor, Italy whose was the lowest valid offers against the enquiry dated 3-5-1982. At the time of placing the order STC had received information that a consignment of 3 MTs. of Ethambutol Hcl. supplied earlier by M/s Siofor, Italy had not passed the quality test. The import of 3.5 MTs. of Ethambutol Hydrochloride did not materialise, as the performance guarantee required to be given by supplier was received by STC in the last week of June, 1982, whereas the letter of credit was valid upto 31-5-1982. STC has now lodged the necessary claims against M/s Siofor, Italy, for the quantities of Ethambutol Hcl. supplied by them which failed in the quality test.

**Manufacture of Chloramphenicol Palmitate by M/s Park-Davis**

4886. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether a number of small scale units are manufacturing Chloramphenicol Palmitate from the same process used by M/s Park-Davis in the country;

(b) whether Government have approved the sale price of more than Rs. 800 per